

# डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)  
बईजलास श्री मुकेश कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

योगेन्द्र कुमार पुत्र रामस्वरूप ओझा निवासी चारणों की गली शाहपुरा जिला शाहपुरा

- वादी

बनाम

- 1- नरेन्द्र कुमार पुत्र रामस्वरूप ओझा निवासी बंजारा बस्ती के पास, सरस डेयारी के पास पटेल नगर, भीलवाड़ा
- 2- नन्द किशोर पुत्र कल्याणमल ओझा निवासी चारणों की गली शाहपुरा तहसील शाहपुरा
- 3- शाखा प्रबंधक बड़ौदा बैंक शाखा शाहपुरा जिला शाहपुरा
- 4- तहसीलदार शाहपुरा जिला शाहपुरा

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र : बाबत बंटवाड़ा कृषि आराजियात  
अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम


मुकदमा नम्बर 87 सन् 2020 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व .....X ..... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है।  
डिक्री दी जाती है कि :-

वादीगण द्वारा वाद पत्र में आगे कार्यवाही नहीं चाहने से वाद विद्धो करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 05 माह 02 सन् 2024 को जारी की गई।

  
(मुकेश कुमार मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर, शाहपुरा